

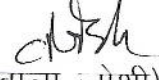
राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3(बी-606ए/86)लिक नं.9056 / अलेसे-11/17356-62 दिनांक :- 22-10-13

:: कार्यालय आदेश ::

श्री भगवान सिंह उदावत, लेखाकार, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड ब्यावर जिला अजमेर (जन्म दिनांक 21.01.56) का आकरिमक निधन दिनांक 03.10.2013 को हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 03.10.2013 मध्याह्न पश्चात् से राज्य सेवा में नहीं रहना माना जाता है।

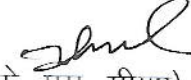
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री उदावत के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुरावेदन) नियम 1958 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

  
(वीरबाला जोशी)  
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी ब्यावर जिला अजमेर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड ब्यावर जिला अजमेर
5. निजी सहायक निदेशक महोदया।
6. श्रीमती उदावत पत्नी स्व. श्री भगवान सिंह उदावत, गुलाब गैस गोदाम, लोहारगल, अजमेर
7. गोपनीय शाखा/रक्षित पंजिका।

✓ 8. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कम्प्यूटर शाखा

  
(कै. एम. मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)